

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या - 02/2023-24

क्रमांक: एफ.7(17) परीक्षा / A.P. (College Edu.) / RPSC / EP-I / 2022-23 / 84

दिनांक : 21-07-2023

आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए सहायक आचार्य के विभिन्न 48 विषयों के पदों पर भर्ती हेतु जारी किये गये विज्ञापन संख्या 01/परीक्षा/सहायक आचार्य/कॉलेज शिक्षा/EP-I/2023-24 दिनांक 22.06.2023 की पद क्रम संख्या 34 पर Music (Instrument) के 4 पद विज्ञापित किये गये थे। उक्त विज्ञापन के तहत ऑनलाईन आवेदन की अवधि दिनांक 26.06.2023 से 25.07.2023 को रात्रि 12:00 बजे तक रखी गई है। आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा के पत्र दिनांक 16.07.2023 एवं 19.07.2023 द्वारा पदनाम Music (Instrument) के स्थान पर Music Instrument (Sitar) किये जाने के फलस्वरूप उक्त विज्ञापन के तहत ऑनलाईन आवेदन की अवधि दिनांक 31.07.2023 की रात्रि 12:00 बजे तक बढ़ाई जाती है एवं निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

1. उक्त विज्ञापन की पद क्रम संख्या 34 पर अंकित विषय का नाम Music (Instrument) के स्थान पर Music Instrument (Sitar) पढ़ा जावे तथा उक्त पदों का संशोधित वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगा:-

Post S. No.	Name of Subject	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.															
			GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.	GEN.	GEN. WE	WD	DV	Ex. Ser.											
34	Music Instrument (Sitar)	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(i) B/LV-1, (ii) D., H.H.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D, Autism & (b) Mul.Dis. -0

2. उक्त विषय हेतु शैक्षणिक योग्यता व अन्य शर्तें विज्ञापन में उल्लेखानुसार यथावत् रहेगी।
3. पूर्व में उक्त विज्ञापन के तहत जिन अभ्यर्थियों ने Music (Instrument) विषय के लिए आवेदन किया है, उक्त पद की योग्यता धारित करने पर उन अभ्यर्थियों का आवेदन Music Instrument (Sitar) विषय हेतु स्वतः ही आवेदित मान लिया जायेगा। उन्हें पुनः आवेदन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त विज्ञापन के लिए ओ.टी.आर. प्रणाली के तहत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। अतः जिन अभ्यर्थियों ने Music (Instrument) विषय हेतु ऑनलाईन आवेदन किया था, परन्तु अब Music Instrument (Sitar) विषय हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पात्र नहीं हैं, उन्हें ओ.टी.आर. शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।

(आशुतोष गुप्ता)
सचिव